

श्री/श्रीमती/सुश्री MADHURI DEVI W/O ANIL KUMAR JHA,  
नोहल्ला JHOSAGARIH, DEOGHAR DEOGHAR, 7004493014  
DEOGHAR, 814112

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0240002981000M0 वार्ड सं० 24 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण धोयणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	56.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (यदि जल स रक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		56.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- 1 कर निर्धारण की सूची, DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION Website, [adaa.harkhand.gov.in](http://adaa.harkhand.gov.in) पर उपलब्ध है।
- 2 नियमावली धरिका 11.4 के अंतर्गत यदि वर्षे जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाना अनिवार्य हो सकता है कर का 50% होगा।  
दियावत दी जाती है कि, वर्षे जल संरक्षण व्यवस्था लगा कर विचार को सुचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से बचाव पावे।
- 3 प्रायः वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैधानिक रूप होगा।
- 4 यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूर्ण कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की दियावत दी जाएगी।
- 5 किसी देय पूर्ण को निर्दिष्ट सम्पत्ति (फार्मेट विभागी) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं भुगतान जाता है, जो 1% प्रतिमाह की दर से संचालन बकाय देय होगा।
- 6 यह कर निर्धारण आपके 40-निर्धारण एवं की गई धोयणा के आधार पर की जा रही है, इस 40-निर्धारण -सह धोयणा पत्र की कानूनी शक्ति तथा समय नियम कब तकनी है एवं तथा गलत पाए जाने पर नियमावली धरिका 11.2 के अनुसार निर्धारित धरिका (Fines) एवं जुर्माने देय होगा।
- 7 DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संचालित दया सम्पत्ति कर इन दरगजों/दरगजों को कोई कानूनी हस्तिकत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने धरिका/दस्तावेजों को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8 अगर आपके लगे हस्तिकत में जो कर अतिरिक्त अंक 5/6/7/8 है तो उन विहित सारवाओं की शर्तों के अन्तर्गत संचालित।

**NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.**

Print